

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल

पत्रांक: गुण0वि0/एल0ई0पी0/ 3410-15

/ 2026-27 / दिनांक: 21-08-2026

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,

जनपद - सम्भल।

विषय: सत्र 2026-27 हेतु स्वीकृत समस्त गतिविधियों (LEP/Catch-up शिक्षण, Science & Math Circles, TLM आदि) का शत-प्रतिशत संचालन कराए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र पत्रांक गुण0वि0/ एल0ई0पी0/3912/2026-27 दिनांक 20 अगस्त, 2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं स्वीकृत बजट/कार्ययोजना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सत्र 2026-27 के अंतर्गत उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार, लर्निंग गैप (Learning Gap) को कम करने तथा गणित एवं विज्ञान विषय में रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने विकास खण्ड में निम्नलिखित समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन कराना सुनिश्चित करें:

Catch-up / लर्निंग इन्हेंसमेण्ट शिक्षण का नियमित संचालन:

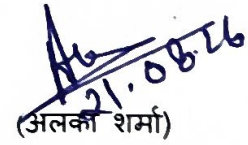
- प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन समय-सारणी के अनुसार 20 से 30 मिनट का Catch-up सत्र अनिवार्य रूप से संचालित कराया जाए।
- बेसलाइन आकलन के आधार पर अधिगम स्तरानुसार बच्चों के समूह बनाकर 'तालिका' एवं 'निपुण ऐप' पर प्रविष्टि दर्ज कराई जाए।
- समस्त उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों द्वारा विज्ञान एवं गणित अध्यापकों/अनुदेशकों को मेंटर नामित करते हुए 'Science Circle' तथा 'Math Circle' का गठन व नियमित गतिविधियां सुनिश्चित कराई जाएं।
- विद्यालय स्तर पर सुझाई गई सूची के अनुसार TLM क्रय/निर्माण कराया जाए तथा शिक्षकों द्वारा दैनिक शिक्षण हेतु 'शिक्षक डायरी' का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए।
- ए.आर.पी., एस.आर.जी., द्वारा भ्रमण के दौरान Catch-up कक्षाओं का अवलोकन कर ऑनसाइट सपोर्ट दिया जाए।
- मासिक BEO-HT बैठकों एवं शिक्षक संकुल बैठकों में इन गतिविधियों की अनिवार्य रूप से प्रगति समीक्षा की जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

संलग्नक-उक्तवत।


(अनुराग मिश्रा)

जिला समन्वयक प्रशिक्षण
सम्भल।


(अनिल कुमार शर्मा)

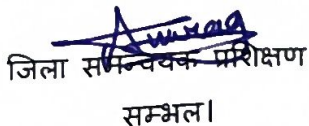
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सम्भल।

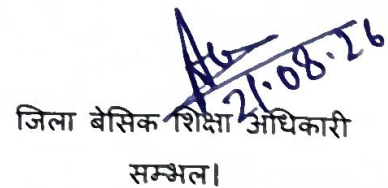
पृ.सं.: गुण0वि0/एल0ई0पी0/

/ 2026-27 / तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), सम्भल।


जिला समन्वयक प्रशिक्षण
सम्भल।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सम्भल।



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha



समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: गुण0वि0/एल0ई0पी0/3912/2026-27

दिनांक: 20/09/2026

विषय: समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में प्राप्त स्वीकृति के कम में लर्निंग इन्हेंसमेण्ट कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में पी0ए0बी0, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लर्निंग इन्हेंसमेण्ट प्रोग्राम (कक्षा 6 से 8) के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया है। पी0ए0बी0, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के कम में परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराये जाने हेतु क्रियान्वित की जाने वाले गतिविधियों के संबंध में निर्देश निम्नवत् हैं :-

1- उद्देश्य :-

- 1) कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आकलन एवं अधिगम अन्तराल की पहचान किया जाना।
- 2) 'तालिका' एवं 'निपुण+ऐप' के माध्यम से दक्षता आधारित आकलन किया जाना।
- 3) Catch-up शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन प्रदान करते हुये विषयवार अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराना।
- 4) 'Science Circle' एवं 'Math Circle' के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना।
- 5) शिक्षकों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान Catch-up शिक्षण सत्रों के संचालन में ऑनसाइट शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया जाना।

2- गतिविधियों का क्रियान्वयन :-

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में एल0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के कम में निम्नांकित गतिविधियां क्रियान्वित करायी जायेंगी :-

1) Catch-up शिक्षण का संचालन

नियमित शिक्षण के उपरान्त भी कुछ विद्यार्थी अपेक्षित दक्षताओं से पीछे रह जाते हैं, जिससे उनमें अधिगम अंतराल (learning gap) उत्पन्न होता है। यदि समय रहते ऐसे विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है, तो यह अधिगम अंतराल निरंतर बढ़ता जाएगा तथा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्त स्थिति से बचने हेतु यह आवश्यक है कि अधिगम अंतराल को कम करने के लिये विद्यालय स्तर पर सुनियोजित, व्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख शैक्षिक रणनीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक सहयोग प्रदान करते हुए अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुँचाया जा सके। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1726/2026-27 दिनांक 12 जून, 2026 (प्रति संलग्न) द्वारा जनपदों को विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तदनुसार Catch-up शिक्षण का प्रभावी संचालन किया जाये।

2) बेसलाइन एवं एंडलाइन आकलन का प्रभावी उपयोग :

Catch-up शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, लक्षित एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु विद्यार्थियों का बेसलाइन एवं एंडलाइन आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण हैं। इस संबंध में बेसलाइन आकलन किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। बेसलाइन आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं अधिगम अंतराल की पहचान की जाए, ताकि स्तरानुसार समूह निर्माण, लक्षित Catch-up शिक्षण योजना एवं आवश्यक शैक्षिक सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। Catch-up शिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त एंडलाइन आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का आकलन किया जाए। बेसलाइन एवं एंडलाइन आकलन के मध्य विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य की निरन्तर जांच की जाये। इसके साथ ही 'तालिका' तथा 'निपुण+ऐप' के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित आकलन करते हुये विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु निरन्तर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाये तथा आकलन में बेहतर प्रदर्शन करने

4

वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाये। तत्कम में कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित आकलन हेतु विषयवार तालिका संलग्न हैं (संलग्नक-1)।

3) ई0एल0टी0आई0 द्वारा विकसित इंग्लिश ग्रामर बुक का उपयोग

अंग्रेजी विषय में विद्यार्थियों को अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु ई0एल0टी0आई0, प्रयागराज द्वारा विकसित इंग्लिश ग्रामर बुक का उपयोग किया जाये। इस संबंध में ई0एल0टी0आई0, प्रयागराज द्वारा अंग्रेजी विषय के शिक्षण हेतु वीडियोज भी विकसित किये गये हैं। तत्संबंधी लिंक संलग्नक-2 के रूप में प्रेषित किये जा रहे हैं।

4) रीडिंग गतिविधियां

विद्यालयों में समृद्ध बाल साहित्य से युक्त पुस्तकालय/रीडिंग कॉर्नर की क्रियाशीलता के लिये विविध प्रकार की आयु एवं कक्षानुरूप रीडिंग बुक्स उपलब्ध करायी गयी हैं। बच्चों को अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ने के लिये समय-सारिणी में पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाये। वर्तमान शैक्षिक सत्र में प्रदेश के विद्यालयों में 'पठन संस्कृति' (Reading Culture) को सुदृढ़ करने एवं समाचार पत्रों के पठन-पाठन को अनिवार्य करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 एवं पत्र दिनांक 13 मई, 2026 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन कराते हुये विद्यार्थियों की पठन क्षमता में अपेक्षित प्रगति लाने के प्रयास किये जायें।

5) 'Science Circle' & 'Math Circle'

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को सुदृढ़ करने, 'क्यों और कैसे' का विश्लेषण कर तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों का 'Science Circle' का गठन किया जाये। 'Science Circle' के माध्यम से विषय आधारित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन से विद्यार्थियों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं करके सीखने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह पाठ्यक्रम के कठिन विषयवस्तु को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत विज्ञान शिक्षक को मेण्टर नामित करते हुये अन्य शिक्षकों को भी सर्किल में नामित किया जाये। गठित समूह द्वारा वर्षभर विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना बनायी जाये तथा मेण्टर के मार्गदर्शन एवं शिक्षकों के सहयोग से आवश्यक सामग्री की सूची बनाकर टी0एल0एम0 हेतु निर्गत बजट से सामग्री कय की जाये। 'Science Circle' के माध्यम से छात्र-छात्राओं को विज्ञान विषय के मॉडल बनाने, प्रोजेक्ट कार्य करने तथा विद्यालयों में उपलब्ध करायी गयी विज्ञान किट्स के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

विद्यार्थियों के तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने, समस्या समाधान की क्षमता और समालोचनात्मक सोच को विकसित करने तथा गणित के सिद्धान्तों का व्यावहारिक जीवन में उपयोग का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'Maths Circle' का गठन किया जाये। इसके संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत गणित शिक्षक को मेण्टर नामित करते हुये अन्य शिक्षकों को भी सर्किल में नामित किया जाये। 'Maths Circle' गणनाओं और खेलों में पहेली, संख्या पैटर्न तथा अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक सिद्ध होगा। 'Maths Circle' के माध्यम से गणित संबंधी विभिन्न गतिविधियों तथा विद्यालय में उपलब्ध करायी गयी एन0सी0ई0आर0टी0 की गणित किट्स का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये तथा विद्यार्थियों को ग्रेड अनुरूप गणितीय मॉडल निर्माण हेतु प्रोत्साहित भी किया जाये।

6) टी0एल0एम0 का प्रयोग

विद्यालयों में कक्षा-कक्ष का वातावरण सुधारने के लिये विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री यथा-तालिका, मैथ्स एवं विज्ञान किट्स आदि उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त के साथ ही शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर टी0एल0एम0 विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष धनराशि भी प्रेषित की जाती है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा Catch-up शिक्षण में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके कक्षा-कक्ष में अधिगम-संलग्न वातावरण (Engaging Learning Environment) का सृजन किया जाये, जिससे कि प्रश्न, जिज्ञासा एवं चर्चा-परिचर्चा के उपरान्त विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान, आस-पास के वातावरण तथा वाह्य दुनिया से स्वयं को सहसम्बन्धित एवम् अभिव्यक्त कर सकें।

शिक्षकों द्वारा पाठ्यविन्दु, विषयवस्तु एवं शिक्षण योजना के अनुसार अपने विषय के टी0एल0एम0 की पहचान करते हुये शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिये सामग्री का कय विद्यालय स्तर पर किया जाये। विद्यालय स्तर पर कय की जाने वाली सामग्रियों की सुझावात्मक सूची एवं तत्संबंधी अनुमानित मूल्य की सूची संलग्नक-3 के रूप में प्रेषित की जा रही है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाये कि सामग्री केवल प्रस्तावना के लिये न हो बल्कि लर्निंग आउटकम के आधार पर हो तथा पाठ्य बिन्दुओं से निरन्तर जुड़ी हो। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्यानुसार

M

सामग्री की उपलब्धता, सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने, जुटाने एवं प्रयोग में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। सामग्री कय के संबंध में केन्द्रीयकृत प्रक्रिया अमल में नहीं लायी जायेगी।

7) **शिक्षक डायरी का उपयोग**

सुनियोजित, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा-शिक्षण तथा पाठ योजनाओं की तैयारी के लिये "शिक्षक डायरी" का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराया जाये तथा जिन विद्यार्थियों में अधिगम अंतराल परिलक्षित हो रहा है, उनके लिये आवश्यकतानुसार लक्षित लेसन प्लान तैयार किये जायें।

8) **शिक्षक संकुल बैठकें**

संदर्शिका के माध्यम से सुनियोजित कक्षा-शिक्षण, शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा करने, शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने आदि अकादमिक गतिविधियों के संबंध में विचार-विमर्श करने तथा बेस्ट एवं इनोवेटिव प्रैक्टिसेज को साझा किये जाने हेतु शिक्षक संकुल की एजेण्डा आधारित मासिक बैठकें आयोजित की जायें। शिक्षक संकुल बैठकों में Catch-up शिक्षण रणनीतियों पर अनिवार्य सत्र आयोजित किये जायें, जिसमें शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुये सफल रणनीतियों पर चर्चा की जाये तथा नवीन TLMs एवं गतिविधियों का प्रदर्शन (Demonstration) भी किया जाये।

9) **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण**

एस0आर0जी0, ए0आर0पी0 एवं डायट मेण्टर्स द्वारा विद्यालयों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य के अवलोकन के साथ Catch-up सत्र का पर्यवेक्षण एवं उत्कृष्ट शिक्षण पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाये। इसके साथ ही Catch-up शिक्षण के अन्तर्गत विद्यार्थियों की गत माह की तुलना में वर्तमान माह की प्रगति का विश्लेषण भी किया जाये।

10) **दीक्षा ऐप, खान एकेडमी, 'द टीचर्स ऐप' एवं पी0एम0ई0-विद्या पर उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का Catch-up शिक्षण सत्रों में आवश्यकतानुसार प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों के घर पर प्रयोग हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाये।**

3- **अनुश्रवण**

- प्रधानाध्यापक द्वारा Catch-up शिक्षण सत्र, टी0एल0एम0 निर्माण एवं उपयोग तथा लेसन प्लान आधारित पढ़ाई के संचालन की साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी।
- बी0ई0ओ0-एच0टी0 की मासिक बैठकों में Catch-up शिक्षण सत्र के संचालन तथा तत्संबंधी अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- प्राचार्य, डायट की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली मासिक बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, एस0आर0जी0 एवं ए0आर0पी0 के साथ Catch-up शिक्षण कार्यक्रम की विकासखण्डवार एवं विद्यालयवार प्रगति की समीक्षा की जाये तथा तदनुसार लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किये जायेंगे।

4- **वित्तीय निर्देश :-**

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में Quality Intervention-Funds for Quality (LEP, Innovation, Guidance etc) के अन्तर्गत Learning Enhancement/Enrichment Programme (Remedial Teaching) मद में प्राप्त स्वीकृति के कम में परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में एल0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत Catch-up शिक्षण सत्रों तथा अन्य गतिविधियों के संचालन, तालिका (प्रति तालिका अधिकतम रु0 30/- की दर से, विशिष्टियां- A2 size, 250 GSM Art Paper, Double side multi colour printing & Centre Fold) के मुद्रण, शिक्षकों द्वारा टी0एल0एम0 के निर्माण तथा शिक्षक डायरी के मुद्रण संबंधी कुल धनराशि रु0 864.16600 लाख की लिमिट जारी की जायेगी। तत्संबंधी जनपदवार विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :-

रू0 864.16600 लाख की लिमिट जारी की जायेगी। तत्संबंधी जनपदवार विवरण निम्नपत्र प्रस्तुत है -

Released Head & Component code	Major component : Quality Intervention						
	Sub component : Funds for Quality (LEP, Innovation, Guidance etc)						
	Activity : LEP (Class VI-VIII)						
	Sub Activity : Learning Enhancement/Enrichment Programme (Remedial Teaching)						
	Component code : [F.01.13]						
All figures are in lakh							
S.No	District	Phy. (UPS)	Unit cost per school (In lakh)	Budget to be Released for Printing of Talika & TLM	Budget to be Released for printing of teachers diary		Total Release (In lakh)
					Phy. (Diary)	Fin. (Rs. 33.42)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AGRA	851	0.01152	9.80440	2611	0.87260	10.67700
2	ALIGARH	719	0.01467	10.54596	2349	0.78504	11.33100
3	AMBEDKAR NAGAR	501	0.01441	7.21749	1743	0.58251	7.80000
4	AMETHI - CSM NAGAR	415	0.01885	7.82198	1176	0.39302	8.21500

64	SAHARANPUR	557	0.01638	9.12176	1814	0.60624	9.72800
65	SAMBHAL (BHIM NAGAR)	465	0.01938	9.01103	1122	0.37497	9.38600
66	SANT KABIR NAGAR	430	0.01315	5.65512	1014	0.33888	5.99400
67	SHAHJAHANPUR	875	0.02233	19.53502	1900	0.63498	20.17000
68	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	203	0.01539	3.12450	576	0.19250	3.31700
69	SHRAWASTI	383	0.02653	10.16046	627	0.20954	10.37000
70	SIDDHARTH NAGAR	711	0.01447	10.28591	1257	0.42009	10.70600
71	SITAPUR	1122	0.02797	31.37679	2939	0.98221	32.35900
72	SONBHADRA	654	0.02637	17.24734	1148	0.38366	17.63100
73	SULTANPUR	592	0.01823	10.79055	2057	0.68745	11.47800
74	UNNAO	814	0.01926	15.68067	2694	0.90033	16.58100
75	VARANASI	340	0.02655	9.02725	1636	0.54675	9.57400
	Total	44527		821.55216	127510	42.61384	864.16600

जनपदों को उपर्युक्तानुसार धनराशि की लिमिट निम्नांकित निर्देशों के अधीन जारी की जायेगी :-

1. विद्यालय स्तर के लिये :- लर्निंग इन्हेंसमेण्ट प्रोग्राम (एल0ई0पी0) के अन्तर्गत टी0एल0एम0 एवं 'तालिका' के मुद्रण हेतु कुल धनराशि रु0 821.55216 लाख प्रेषित की जायेगी। तत्संबंधी धनराशि उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या-4 में उल्लिखित विवरणानुसार 03 दिवस के अन्दर विद्यालयों को अन्तरित की जायेगी।
2. जिला परियोजना कार्यालय स्तर के लिये :- कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध करायी जा रही शिक्षक डायरी की आपूर्ति के उपरान्त संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु धनराशि रु0 42.61384 लाख की लिमिट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर प्रेषित की जायेगी, जिसका भुगतान जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर किया जायेगा। इस संबंध में सुसंगत निर्देश पृथक से प्रेषित किये गये हैं।
3. धनराशि का प्रेषण एवं व्यय SNA-SPARSH पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
4. जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जायेगी, उसी मद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा। इसके लिये भुगतान करते समय बजट शीट में अंकित PFMS Component Code एवं गतिविधि का चयन सावधानी पूर्वक किया जायेगा तथा उल्लिखित मद से ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि आवर्तक (Recurring) मद के अन्तर्गत निर्गत की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्देशानुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति के पश्चात् इस मद में किसी भी प्रकार की देयता को स्वीकार नहीं किया जायेगा। देयता सृजित करने के संबंध में संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
6. कय की गयी सामग्री का अभिलेखीकरण किया जायेगा तथा व्यय-विवरण से संबंधित बिल वाउचर्स यथास्थिति विद्यालय स्तर/जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर संरक्षित रखे जायेंगे तथा नियमानुसार आन्तरिक एवं वैधानिक सम्प्रेक्षण के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।
7. प्रधानाध्यापक द्वारा स्टॉक पंजिका में गतिविधियों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करते हुये स्टॉक पंजिका अद्यतन की जायेगी।

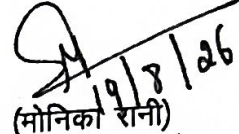
5- अभिलेखीकरण एवं अनुश्रवण :-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अपने मण्डल के जनपदों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुये निर्देशानुसार समस्त गतिविधियां समयान्तर्गत पूर्ण करायी जायेंगी।
2. विद्यालयों में निर्धारित समयावधि में एल0ई0पी0 के अन्तर्गत निर्देशित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित कराये जाने के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
3. विकासखण्ड एवं विद्यालय स्तर पर उक्तानुसार विभिन्न गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जायेगा तथा तत्संबंधी संक्षिप्त आख्या, बेस्ट प्रैक्टिसेज, सक्सेस स्टोरी एवं नवाचार इत्यादि की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
4. गतिविधियों का अनुश्रवण विद्या समीक्षा केन्द्र एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से किया जायेगा।

4

अतः समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में प्राप्त स्वीकृति के कम में परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में एल0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का निर्देशानुसार क्रियान्वयन निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने के लिये सर्वसंबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीया,


(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0- गुण0वि0/एल0ई0पी0/ 3912/2026-27 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।




(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक